न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰
प्रकरण संख्या 111 / 2024 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती सोहनी बाई पुत्री चम्पासिंह जी खरवड़ पत्नी मनोहरसिंह जी राजपूत, निवासी गायरियावास हाल मजावड़ी, नरसिंहदास का गुड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. अम्बाव सिंह पिता भगा जी राजपूत, निवासी गायरियावास, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. प्रताप सिंह पिता नान सिंह जी राजपूत, निवासी गायरियावास, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती चुन्नी बाई पुत्री चम्पासिंह जी खरवड़, निवासी गायरियावास हाल ओबरा खुर्द, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती नकारी बाई पुत्री चम्पासिंह जी खरवड़, निवासी गायरियावास हाल भारोड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा दिनांक
10.02.2022, प्रकरण सं0 17 / 2022

———/———

उपस्थित :– 1. श्री प्रवीण शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
2. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 4

———::———

निर्णय दिनांक 10–02–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम काछबा, तहसील गोगुन्दा में जमाबन्दी संवत् 2077 से 2080 में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात स्थित जो वादी संख्या 1 के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:17 IST
Reason: SelfAttested

एवं वादी संख्या 2 के दादा श्री भगा जी राजपूत के नाम अंकित है। वादीगण अपने पिता के जीवनकाल से उक्त आराजियात का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, जिस पर वादीगण का मकान बना होकर परिवार सहित निवास कर रहे हैं। भगा जी ने अपने जीवनकाल में अपने दोनों पुत्र नानसिंह व अम्बावसिंह के पक्ष में दिनांक 27–01–1997 को रजिस्टर्ड अंतिम इच्छा पत्र निष्पादित कर दिया तथा अपनी सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति का अपने दोनों पुत्रों के मध्य 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार विभाजन कर दिया। भगा जी की मृत्यु दिनांक 06–06–2001 को हो गयी, जिसके जाईन्दा वारिस वादीगण हैं। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात का प्रत्येक वादीगण को 1/2, 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10–02–2022 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर वादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का तथा वादी संख्या 2 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–09–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए तथा लिखित बहस प्रस्तुत की, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण शर्मा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होकर उसके चारों ओर बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाने डिक्री प्राप्त कर ली है तथा अपीलान्ट को भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं, जिससे अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे हैं तथा अपीलान्ट प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त प्रार्थना पत्र की जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने प्रस्तुत कर बताया कि विवादित आराजियात ने अपीलान्ट को कोई संबंध नहीं है, बल्कि विवादित भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के खातेदारी की होकर उनका कब्जा चला आ रहा है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट की कोई बाउण्ड्रीवाल बनी हुई नहीं है, जब अपीलान्ट का कब्जा ही नहीं है, तो रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा उसे बेदखल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2077 से 2080 में वाद वर्णित आराजियात भगा जी के खातेदारी में अंकित है तथा भगा द्वारा दिनांक 27–01–1997 को रजिस्टर्ड अंतिम इच्छा पत्र अपने पुत्र नानसिंह व अम्बावसिंह के पक्ष में किया जाना स्पष्ट है। अपीलान्ट ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी नहीं बताया है कि भगा की सम्पत्ति में उनका किस प्रकार से हक व अधिकार है, किन्तु अपील मीमों कलम संख्या 7 में अपीलान्ट ने अपने आपको भगा की पुत्री होना अंकित किया है, जबकि अपील मीमों के उनवान में चम्पासिंह की पुत्री होना दर्शाया है। वहीं दूसरी ओर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो लिखित बहस प्रस्तुत की गयी है, उसमें विवादित भूमि को भगा जी स्वअर्जित होना बताते हुए उन्हें अंतिम इच्छा पत्र निष्पादित करने का अधिकारी बताया है एवं इसी आधार पर घोषणा का वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है, किन्तु अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि विवादित भूमि भगा जी को विरासत से प्राप्त हुई हो, जबकि दूसरी ओर अपनी लिखित बहस में अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने यह अंकित किया है अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 द्वारा वादग्रस्त भूमि बाबत् घोषणा एवं विभाजन का वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें दिनांक 09–11–1998 को प्रारम्भिय डिक्री जारी व दिनांक 30–08–2000 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:17 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री जारी की गयी, जिसके विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 अम्बावसिंह व अन्य द्वारा अपील भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के यहां प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 22–10–2003 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त किया है, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 2006/1091 व अपील संख्या 2006/1090 प्रस्तुत की गयी, जो माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 21–12–2021 को खारिज कर दी गयी एवं इसके समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की, जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजियात बाबत् माननीय राजस्व मण्डल अजमेर तक निर्णय होकर अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत अपीलें खारिज हो चुकी है, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा कोई अपील नहीं किये जाने से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर उक्त का निर्णय आज भी प्रभावी है। तद्नुसार हम अपीलान्ट को इस प्रकरण में किसी प्रकार से हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार नहीं पाते हैं।

अतः अपीलान्ट हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार साबित नहीं होने से धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–02–2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10–02–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:17 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती सोहनबाई पुत्री चम्पासिंह खरवड पत्नी मनोहरसिंह राजपूत, नि.गायरियावास हाल मजावडी, नरसिंहदास का गुडा, तह0 गोगुन्दा, जिला उदयपुर बनाम **अम्बावसिंह पिता भगा जी राजपूत, निवासी गायरियावास, तह. गोगुन्दा जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**111/2024**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.... .....**गोगुन्दा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....10**.....माह.....**02**.....**2022**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**.10**....माह.....**.02**....सन् **2025** रूबरू.....**.पक्षकारान** व हाजरी....**श्री प्रवीण शर्मा**...मिनजानिब अपीलान्ट व....**श्री ओंकारलाल डांगी/संजय बोहरा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपीलान्ट हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार साबित नहीं होने से धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–02–2022 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**10.**.....माह.....**.02**.....**2025** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:17 IST
Reason: SelfAttested